## न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिकप्रकरण क0-715 / 15</u> <u>संस्था0दि0 15 / 10 / 2015</u> फाई लनं.233504003622015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र, आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-: विरूद्ध:-

रामपत पिता मुंगुश, उम्र 40 वर्ष, जाति मेहरा, पेशा मजदूरी, नि0ग्राम–रानीडोंगरी, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

<u>----अभियुक्त.</u>

## <u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक—13/02/2017 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—324 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 14/09/14 समय 20:00 बजे करीबन प्रार्थी के घर के सामने थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी को धारदार डंडा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 2— दिनांक 13/02/17 को फरियादी गणेश तथा अभियुक्त रामपत के मध्य राजीनामा होने से धारा 294 एवं 506 भाग—2 में अभियुक्त रामपत को दोषमुक्त किया गया।
  3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14/09/14 कोशाम करीब 8 बजे की बात है वह घर पर था कि रामपत मक्का के भुट्टे लेकर आया तो उसने बोला कि उसके खेत के मक्का के भुट्टे क्यों तोड़े तो रामपत मेहरा उसे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो रामपत ने उसे डंडा हाथ थप्पड़ से मारपीट किया जिससे उसे दांहिने हाथ की कोहनी में चोट आकर खून निकल रहा है। उस समय हरीराम मन्तू ने देखा सुना है। बीच बचाव किया। रामपत बोल रहा था कि अगर दुबारा बोला तो जान से खतम कर दूंगा। जान से खतम करने की धमकी दे रहा था।

- 4— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 740/14 के अंतर्गत अपराध कायम कर भाठदंठविठ की धारा 294,323,34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 16/09/14 को घटना का नक्शा मौका प्र0पी0—2 बनाया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफतारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 5— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूटा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

## 6- न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

"आपने दिनांक 14/09/14 समय 20:00 बजे करीबन प्रार्थी के घर के सामने थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी को धारदार डंडा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?

## \_: निष्कर्ष एवं उसके आधार :— \_: विचारणीय प्रश्न क0 01 का निराकरण

- 7— अभियोजन साक्षी गणेश (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी उसके घर के सामने आया था और आरोपी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। गाली देने से मना किया तो आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगा था जिससे उसकी दांहिने कोहनी में चोट आई थी एवं गिर पडा था, जिस पर जमीन पर रखी कुल्हाडी पे गिर गया था जिस पर उसे चोट आई थी। घटना की रिपोर्ट थाना आमला की थी जो प्र0पी0 1 है पुलिस ने उसका मेडिकल मुलाहिजा कराया था। घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ने धारदार कुल्हाडी से मारपीट की थी।
- 8— आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे धारदार जैसी वस्तु से मारपीट नहीं की थी। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने फरियादी को धारदार डंडा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति

कारित की। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य की मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि० की धारा 324 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

- 9— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को धारदार डंडा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।
- 10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को धारदार डंडा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार अभियुक्त रामपत को भा०द०वि० की धारा—324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11— अभियुक्त के धारा—313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 12- प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0